### तहसीलदार के समक्ष पेश संपत्ति नामांतरण प्रकरण के बाद उजागर हुआ फर्जीवाड़ा

# अविवाहित युवक की मौत : संपत्ति हड़पने सामने आई फर्जी पत्नी

**षडयंत्र रच दस्तावेजों में की हेराफेरी, दर्ज हुई एफआईआर**

**जबलपुर।** अविवाहित युवक की मौत के बाद उसकी साकते नगर, शिवालय संस्कार विवेकांनद वार्ड स्थित संपत्ति हड़ने के इरादे से एक महिला उसकी फर्जी पत्नी बन गई ओर उसने तहसीलदार के समक्ष संपत्ति नामांतरण प्रकरण पेश किया। जब मृतक के परिजनों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने तहसीलदार को हकीकत बताई। जिसकेक बाद षडयंत्र रच दस्तावेजों में की हेराफेरी करते हुए मृतक की फर्जी पत्नी बनी महिला के खिलाफ विजय नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं।

पुलिस के मुताबिक रामनारायण विश्वकर्मा पिता स्व. कौडीलाल विश्वकर्मा 45 वर्ष निवासी भेडाघाट रोड तेवर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके अविवाहित भाई राजेश कुमार विश्वकर्मा के स्वत्व अधिपत्य व मालकाना हक की संपत्ति शिवालय संस्कार, साकेत नगर विवेकानंद वार्ड में स्थित है जिसके राजस्व अभिलेखों मे उसके भाई का नाम बतौर मालिक स्वामी काबिज के दर्ज चला आ रहा था। मां उसके साथ ही निवास करती चली आ रही थी अविवाहित भाई राजेश कुमार विश्वकर्मा का 28 मई 2024 को निधन हो गया। पिता कौडीलाल विश्वकर्मा का निधन कोरोना काल में हो गया जिसमे उसके परिवार में पैतृक संपत्ति में केवल उसका एवं मां, बहन का हक है। भाई की मौत के बाद उसे पता चला कि किसी नीलम विश्वकर्मा उर्फ नीलम ठाकुर के व्दारा उसके अविवाहित भाई की पत्नी बनाकर भाई के स्वामित्व की

उक्त सम्पत्ति मकान के नामांतरण प्रकरण तहसीलदार अधारताल थाना विजयनगर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर वह मां माधुरी विश्वकर्मा एवं बहन राजेश्वरी शर्मा तहसीलदार अधारताल के समक्ष उपस्थित हुये तब पता चला कि परवीन बानो उर्फ नीलम ठाकुर के व्दारा अपना नाम बदलकर नीलम विश्वकर्मा बनकर स्वयं को उसके भाई की पत्नी बनकर उक्त नामांतरण प्रकरण तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

#### साजिश बेनकाब होते ही फरार, नामांतरण निरस्त

फर्जीवाड़े का पता लगने के बाद शिकायतकर्ता ने तहसीलदार को वास्तविक जानकारी प्रदान की गई और बताया गया कि भाई अविवाहित था परवीन बानो उर्फ नीलम ठाकुर के व्दारा षंडयत्र पूर्ण ढंग से छल कपट व धोखाधडी करते हुये कूटरचित दस्तावेज तैयार कर व झूठा शपथपत्र देकर उक्त नामातंरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त जानकारी परवीन बानो उर्फ नीलम ठाकुर को प्राप्त होने पर वह तहसीलदार के न्यायालय से फरार हो गई और दोबार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई और न ही प्रकरण प्रमाणित कर पायी जिस कारण उसका नामातंरण प्रकरण निरस्त हो गई इसके बाद विधिवत कार्यवाही के उपरांत पीड़ित पक्ष में नामातंरण आदेश पारित किया गया।

#### दस्तावेजों में फेरबदल कर ऐसे किया गड़बड़झाला

शिकायतकर्ता के मुताबिक नीलम विश्वकर्मा उर्फ परवीना बानो के व्दारा दस्तावेजो में फेरबदल किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र जो पूर्व में 27 मार्च 2025 को जारी हुआ उसमें नीलम विश्वकर्मा के व्दारा फर्जी तरीके से स्वंय को राजेश विश्वकर्मा की पत्नी के रूप में लेख कराया गया बाद में पुर्न सुधारकर 8 अप्रैल 2025 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र मे पत्नी के नाम को रिक्त कराया गया। नीलम विश्वकर्मा के व्दारा जिस सम्प्रग आईडी के माध्यम राजेश को अपने पति होने का दावा कर रही है उसमे राजेश की सम्प्रग आई 117425241 है जबकि मृतक राजेश विश्वकर्मा पिता कौडीलाल विश्वकर्मा की सम्प्रग आईडी 14658 1876 है जिसमे परिवार का मुखिया कौडीलाल विश्वकर्मा है एवं परिवार की आई डी मे किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है।

# कॉलेज की जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को प्रदान करें

**हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार स्कैनिंग करने पर करें सीबीआई का सहयोग**

**जबलपुर।** नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने सीबीआई को निर्देशित किया है कि जांच में पाये गये सूटेबल कॉलेज की रिपोर्ट स्कैन कर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा स्कैन रिपोर्ट याचिकाकर्ता को प्रदान की जाये। इस कार्य के लिए राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध करवाते हुए सीबीआई का सहयोग करें। रिकॉर्ड की सुरक्षा का जिम्मा सीबीआई को होगा। स्कैनिंग का कार्य सीबीआई अधिकारी के निर्देशन में किया जाये।

गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधित फर्जीवाडे को चुनौती देते हुए लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेष दिये थे। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश किये गये आवेदन में कहा गया था कि सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाये गये कॉलेज में पैरामेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे। युगलपीठ ने आवेदन की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में करने के आदेष जारी किये है। युगलपीठ ने प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए याचिका की सुनवाई नर्सिंग कॉलेज संबंधित याचिका के साथ करने के निर्देश दिये थे। युगलपीठ ने याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान उक्त आदेश जारी किये। युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की।

#### यूका मामला : एक्सपर्ट कमेटी सदस्यों के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट

**जबलपुर।** यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे विनिष्टीकरण मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई हुई। जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष पूर्व निर्देश के पालन में गुरुवार को यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट के मामले में एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य हाजिर हुये। जिनसे युगलपीठ ने सवाल-जवाब किए, लेकिन सदस्यों द्वारा दिये गये जवाब से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ। जिस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त निर्धारित करते हुए कहा है कि उस दिन सभी एक्सपर्ट सदस्य कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक सहित हाजिर हों ।उल्लेखनीय है कि जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व खालिद नूर फखरुद्दीन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया विगत सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी। जिसमें अवगत कराया गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनिस्टिकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है। केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में जहरीले कचरे का विनिष्टिकरण किया गया है।

# 15 दिन बाद भी नहीं हो पाई चावल की जांच

**धान अफरा तफरी मामला**
**3 दिन में देनी थी रिपोर्ट**

**नवभारत, जबलपुर।** जिले में धान अफरा तफरी मामले में 16 राइस मिलर पर हुई एफआईआर के बाद मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा 15 जुलाई को आदेश जारी करते हुए उक्त 16 राइस मिलर द्वारा जो चावल जमा किया गया था, उसकी ऐज टेस्ट और गुणवत्ता परीक्षण के लिए एक तीन सदस्य जांच दल बनाया गया था। जिसे 3 दिन के के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन आदेश आने के 15 दिन बाद भी मामले में जांच दल के द्वारा कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि जांच दल जबलपुर आकर उक्त राइस मिलरों के सैंपल सील बंद पैकेट में भोपाल ले जा चुका है।

**पुराने चावल का था आरोप**

इस पूरे मामले में जो 16 राइस मिलर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें करोड़ों रुपए की अफरा तफरी की बात कही गई है। लेकिन राइस मिलरों का कहना है कि उनके द्वारा उक्त धान के एवज में पूरा चावल जमा कर दिया गया है। उसके

बाद जिला स्तर पर तो कार्यवाही की ही गई थी मुख्यालय स्तर पर भी चावल की गुणवत्ता और उम्र देखने के लिए दल का गठन किया गया था, लेकिन यह पूरा मामला कहीं न कहीं ठंडा होता जा रहा है।

#### चावल की गुणवत्ता के साथ उसकी उम्र का भी परीक्षण

चावल की गुणवत्ता के साथ-साथ उसकी उम्र का भी परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए ऐज टेस्ट की व्यवस्था की गई है। जिसमें एक केमिकल होता है, जिसमें चावल को डाला जाता है यदि उसका कलर एफोरेडो ग्रीन आ जाता है तो वह नया चावल माना जाता है और अगर कलर एफोरेडो ग्रीन नहीं आता तो उसे पुराना चावल माना जाता है। लेकिन मिलिंग होने के 3 महीने तक ही यह चावल का परीक्षण सटीक परिणाम देता है। यदि चावल 3 महीने से ज्यादा पुराना हो जाता है तो परिणाम उतना सटीक नहीं होता है। वही जिस मामले में जांच करने के आदेश दिए गए हैं, उसमें चावल लगभग 6 माह पुराना हो चुका है और बहुत बड़ी मात्रा तो राशन दुकानों में बट भी चुकी है, ऐसे में यह टीम जो परिणाम देगी, वह उतना उम्र के मामले में तो कारगर नहीं होगा। लेकिन क्वालिटी के मामले में जरूर वास्तविकता सामने आएगी।

# एक दिन के लिए खुला पोर्टल, 3 हजार स्लॉट बुक

**विगत पांच दिनों से बंद था पोर्टल**

**नवभारत, जबलपुर।** समर्थन मूल्य में चल रही खरीदी के लिए किसानों द्वारा स्लॉट बुक होने वाला पोर्टल शनिवार से बंद था, जिससे विगत पांच दिनों से किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पाए। वहीं गुरुवार को एक दिन के लिए पोर्टल खोला गया था, जिसमें जिले के लगभग 3 हजार किसानों ने अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए स्लॉट बुक किए हैं। ई का संचालक डॉक्टर एस के निगम से मेरी जानकारी के अनुसार गुरुवार को 2965 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। जिससे कुल 7608 किसानों के स्लॉट बुक हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि शनिवार से पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आने से किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि भोपाल से ही पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आई है, जिसके लिए सुधार कार्य में लगे हुए हैं। जिसकी अंतिम तिथि 29 जुलाई थी, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण गुरुवार को एक दिन के लिए पोर्टल खोला गया था।

#### साढ़े सात हजार मीट्रिक टन से ज्यादा हुई खरीदी

कृषि उपसंचालक से मिली जानकारी के अनुसार जिले में गुरुवार तक मूंग और उड़द की खरीदी में 3819 किसानों से 7754 मीट्रिक टन फसल का उपार्जन हुआ है। जिसमें 2845 किसानों ने 5724 मीट्रिक टन मूंग और 965 किसानों ने 2030 मीट्रिक टन उड़द समर्थन मूल्य पर बेची है।

#### 8 अगस्त तक होना है उपार्जन

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा जिले में ग्रीष्म कालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन 7 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाना है। जिसके लिए जिले में 12 केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा जिले में कुल 18 हजार 512 किसानों ने मूंग एवं उड़द के उपार्जन के लिए अपना पंजीयन कराया है।

## मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई पर लगाई रोक

**जबलपुर।** हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह मामला याचिकाकर्ता दमोह निवासी हीरालाल, कल्लू कोरी व प्रकाश की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा, असीम त्रिवेदी व रोहिणी शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका दमोह ने याचिकाकर्ताओं के 100 वर्ष से अधिक पुराने मकानों को अनाधिकृत निर्माण निरूपित कर सात दिवस के भीतर ढहाने का आदेश जारी कर दिया है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(महारत्न कंपनी)
ग्वालियर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय, 611-614, केशर टावर्स, ग्वालियर - 474005
मध्य प्रदेश में भूमि की आवश्यकता
नोट: यह विज्ञापन रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए नहीं है।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों पर रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए पट्टे पर (न्यूनतम 19 वर्ष 11 महीने) अथवा कॉर्पोरेशन को एकमुश्त बिक्री के माध्यम से भूखंड या भूमि के हस्तांतरण के लिए भूमि के एकमात्र स्वामी या सह-स्वामियों से दो बोली प्रणाली यानी ए) तकनीकी बोली बी) वित्तीय बोली पर मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित करता है।
आवेदक के पास भूमि में रूचि रखने वाले अन्य सह-स्वामियों या पार्टियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। संयुक्त बोलीदाताओं के मामले में बोली लगाने वालों में से कोई एक अन्य के लिए मुख्तारनामा धारण करने के माध्यम से बोली लगा सकता है। जिन पार्टियों ने इस विज्ञापन के जारी होने की तारीख से पहले भूमि के कब्जे वाले मालिकों के साथ बिक्री के लिए पंजीकृत समझौता किया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन हमारी वेबसाइट: www.hindustanpetroleum.com पर उपलब्ध है।
सबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 30/09/2025 को 15:00 बजे तक है। तकनीकी बोली दिनांक 30/09/2025 को 1600 बजे सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में खोली जाएगी। इच्छुक बोली दाता तकनीकी बोली खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।
/hpcl | /hpcl | /hpcl
www.hindustanpetroleum.com
LiFE Lifestyle for Environment

STUDY ABROAD COUNSELING By Prabha Yadav
MBBS प्रवेश
विदेश में डॉक्टर बने आपके बजट में
भारत के साथ ही रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, नेपाल सहित अन्य देशों सें MBBS करने हेतु संपर्क करें:-
ASHIRWAAD 781, SHANTI NAGAR, NEAR RYAN INTERNATION SCHOOL JABALPUR
+91 9340486618

भवन निर्माण
₹ 1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन
माड्यूलर किचिन लेटबाथ स्टील रेलिंग बिजली पानी, मटेरियल सहित, कम्पलीट वर्क
संपर्क करे कमलेश पटेल- मो.नं. 6260334877

# कैंट बोर्ड मेंबर चुनाव पर लगा विराम

**रक्षा मंत्रालय ने किया स्पष्ट पार्टी कार्यकर्ताओं में देखी गई मायूसी**

**नवभारत, जबलपुर।** चार साल से ज्यादा का समय हो चुका है, सिविल आबादी का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये पीड़ा इन दिनों कैंट बोर्ड क्षेत्र में रहने वाले सदस्यों के बीच गुरूवार को होती दिखी। वजह रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अब कैंट बोर्ड के लिए मेंबर्स का निर्वाचन नहीं होगा। इस जानकारी के बाद कैंट बोर्ड स्तर पर राजनीति कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं में मायूसी भी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि कैंट बोर्ड के सिविल एरिया को समीप के निकायों में विलय करने की प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब है कि 10 फरवरी 2020 से कैंट बोर्ड के चुनाव नहीं कराए गए थे।

#### आज तक नामित मेंबर्स की नहीं हुई नियुक्ति

उधर पूर्व कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे का कहना है कि पूरे देश में जनता की आवाज बोर्ड तक पहुंचाने के लिए नामित मेंबर्स की नियुक्ति की गई है, लेकिन जबलपुर कैंट बोर्ड के मामले में आज तक नामित मेंबर्स की नियुक्ति नहीं की गई है जो कि हैरानी वाली बात है। अधिकतर देखा गया है कि कैंट क्षेत्र में छोटी-छोटी सी समस्याओं को लेकर स्थानीय रहवासियों को भटकना पड़ता है। इसलिए पूर्व उपाध्यक्ष ने ये भी कहा कि रक्षा मंत्रालय विलय की प्रक्रिया को ही जल्द से जल्द पूरा कर दे जिससे रहवासियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जानकारी के अनुसार कैंट बोर्ड के पूर्व सदस्य अमरचंद बावरिया ने कैंट बोर्ड मेंबर्स के चुनाव कराने को लेकर कुछ साल पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जो आज तक लंबित पड़ी हुई है।

JABALI
माखनलाल चतुर्वेदी वि.वि से सबद्ध
PGDCA योग्यता- स्नातक किसी भी विषय में | DCA योग्यता 12 वीं किसी भी विषय | TALLY | CPCT, C++, JAVA, PYTHON
Classes Available- BCA
दमोहनाका पेट्रोल पंप के सामने, मेन रोड जबलपुर- 8989001539, 0761- 4005515

SYS INSTITUTE OF COMPUTER MNG.
माखनलाल चतुर्वेदी वि.वि से सबद्ध
PGDCA योग्यता- स्नातक किसी भी विषय में | DCA योग्यता 12 वीं किसी भी विषय में
TALLY, CPCT, C++, JAVA, PYTHON
Classes Available- BCA
होमसाइंस कॉलेज रोड आयुष गैलरी के सामने डॉ. रवि अग्रवाल लाईन- 9826144161, 0761-4044161

मोहन्ती चेस्ट हॉस्पिटल
डॉ. ए.पी. मोहन्ती
(एम.डी.चेस्ट वरिष्ठ छाती एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ)
एम.डी.आर. टी.बी., निमोनिया, फेफड़ों में जमे पानी का इलाज, दमा, सांस फूलने का इलाज, एलर्जी टेस्ट, स्लीप स्टडी, स्पाईरोमेट्री, ब्रॉकोस्कोपी एवं धूम्रपान छुड़ाना।
पता जबलपुर हॉस्पिटल के सामने, रसल चौक जबलपुर
0761-3585408, 7999985457
0761-4047091, 7898409109

भूमिजा टीएमटी 550 SD सरिया
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED CO.
प्रतिभाशाली इस्पात का निर्माण... ...एक बेहतर दुनिया के लिए...
FOLLOW US ON www.bhumijaispat.com | भूमिजा टीएमटी +91 9425154546 +91 7880097612

FOX LIFE
FLASH SALE
GET 4 ARTICLES FOR RS. 999
MORE OFFERS AVAILABLE
*Conditions Apply, Taxes Extra
AVAILABLE AT: Naagal Pavilion, Opp Wright Town Stadium Gate 4 | Bada Fuhara

श्रीजानकीरमण कला, वाणिज्य एवं फॉर्मेसी महाविद्यालय
म.प्र. शासन से मान्यता व अनुदान प्राप्त और रानीदुर्गावती वि.वि. एवं फॉर्मेसी काउंसिल से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय
प्रवेश प्रारंभ B.A. B.Com B.Pharma D.Pharma
बल्देवबाग के पास, आगा चौक, जबलपुर मो: 9243447119, 7869474006

महाकौशल यूनिवर्सिटी
म.प्र. शासन एवं UGC से मान्यता प्राप्त
ऐठारवेड़ा, तिलवारा, जबलपुर
•B.Tech •BBA •Law •M.Tech •MBA •Forensic Sci. •Pharmacy •B.Sc •BA •B.Com •Agriculture •M.Sc •MA •M.Com
ADMISSION 9109970698 9981350102 9109988370 9109970699
सिटी ऑफिस - जौहरी हॉस्पिटल के सामने, गौ माता चौक, राईट टाउन, जबलपुर

सीधे 10 वीं/12 वीं/कॉलेज के फार्म भरें।
9वीं/11वीं फेल/पास सीधे 10वीं/12वीं करें। 12वीं पास बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.बी.ए./डी.एड./ आई.टी.आई./ कॉलेज/एन.टी.टी. जैसे कोर्स करें। ग्रेजुएट छात्र-छात्रा बी.एड./ बी.लिब./ डी.फार्मा./बी.फार्मा./एल.एल.बी. जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्स कम्प्यूटर कोर्स के रेग्यूलर/प्राइवेट फार्म भरें।
यश नर्सरी हायर सेकेण्डरी स्कूल स्टेट बैंक के पास अधारताल तिराहा जबलपुर मो. 9303580611 फोन नं. 0761-4111321

श्री शुभम् हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर
मल्टी स्पेशियेलिटी हॉस्पिटल
* जनरल मेडिसिन * हृदय रोग * नेत्र रोग * अस्थि रोग * जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी * न्यूरो तथा स्पाइन * नाक-कान-गला रोग * कैंसर * स्त्री एवं प्रसूती रोग * बाल रोग
24/7 आकस्मिक चिकित्सा, भर्ती, एम्बूलेंस, दवाईयां सुविधा उपलब्ध है
दशमेश द्वार, मदन महल चौक, नागपुर रोड, जबलपुर फोन. 0761.4051253 मो.9329486447

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57